

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
जोधपुर

तारीख हुकम

12/11

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दीपक राम

काम दीपक राम

क 212 R.T. Act

नाम व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके
द्वार-2018 केम कोर्ट में प्रस्तुत हुई। हस्तगत
अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25/3/15
को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा आज दिनांक
तक किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की
गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि
प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने हेतु कोई
निवेदन भी नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा का एक त्वरित
उपचार है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि
विगत 04 वर्षों से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उन्होंने
किसी प्रकार का इसे प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं किया है। विधि
अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र का निस्तारण छः माह
के भीतर किया जाना भी आवश्यक है। जिससे यह जाहिर होता
है कि प्रार्थीगण को वर्तमान में शीघ्र उपचार की कोई
आवश्यकता नहीं रही हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत
यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण को भविष्य में
आवश्यकता होने पर विधि अनुसार पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा का
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली फाँसल शुमार होकर
दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(फास्ट ट्रैक), जोधपुर

